राजस्थान सरकार
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग
(पंचायती राज विभाग)

क्रमांकः—एफ.28( )पंरावि / प्रशा—2 / ग्रासेभर्ती / पार्ट / 2017 / 1477 जयपुर,दिनांकः— 2.4.18

—: आदेश :—

राजस्थान अधीनस्थ एवं मंत्रालयिक सेवा चयन बोर्ड के पत्र क्रमांक 655 दिनांक 01.11.2017 के द्वारा ग्राम सेवक एवं पंचायत सचिव सीधी भर्ती परीक्षा —2016 में अभ्यर्थियों के अंतिम रूप से चयन एवं पदस्थापन की अभिशंषा सूची भिजवाई गई थी । इस सूची में श्री विनोद कुमार मीना, एस.टी.(रोल नं. 292983 मेरिट नं. 9841) का नाम भी अंकित था । विभाग के पत्र क्रमांक एफ.28( )पंरावि / प्रशा—2 / ग्रा.से.भर्ती / पार्ट / 2016 / 4322 दिनांक 17.11.2017 के द्वारा इन अभ्यर्थियों को जिला आवंटित किये गये । जिसमें श्री विनोद कुमार मीना को हनुमानगढ जिला आवंटित किया गया ।

राजस्थान अधीनस्थ एवं मंत्रालयिक सेवा चयन बोर्ड के पत्र क्रमांक 978 दिनांक 25.01.2018 द्वारा 201 अभ्यर्थियों की एक अन्यू सूची विभाग को भेजी गई, जिसमें भी श्री विनोद कुमार मीना एस.टी.(रोल नं. 292983 मेरिट नं. 9841) का नाम अंकित था । इस आधार पर विभाग के पत्र क्रमांक एफ.28( )पंरावि / प्रशा—2 / ग्रासेभर्ती / पार्ट / 2017 / 1072 दिनांक 27.02.2018 द्वारा किये गये जिला आवंटन में इन्हें जयपुर जिला आवंटित किया गया । इस प्रकार अधीनस्थ एवं मंत्रालयिक सेवा चयन बोर्ड के द्वारा श्री विनोद कुमार मीना का नाम दो बार भेजे जाने के कारण इन्हें क्रमशः हनुमानगढ एवं जयपुर जिला आवंटित हुआ है ।

अतः श्री विनोद कुमार मीना एस.टी.(रोल नं. 292983 मेरिट नं. 9841) हनुमानगढ जिले में पदस्थापित होने के कारण विभागीय पत्र क्रमांक 1072 दिनांक 27.02.2018 जिसके द्वारा श्री मीना को जयपुर जिला आवंटित किया गया है, को प्रत्याहरित (Withdraw) किया जाता है ।

यह सक्षम स्तर से अनुमोदित है ।

आज्ञा से,

(राजेन्द्र शेखर मक्कड़)
अतिरिक्त आयुक्त एवं
संयुक्त शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ :—

1—विशिष्ठ सहायक, मा0 मंत्री महोदय, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग, जयपुर।
2—अध्यक्ष, राजस्थान अधीनस्थ एवं मंत्रालयिक सेवा चयन बोर्ड, दुर्गापुरा, जयपुर ।
3—निजी सचिव, शासन सचिव एवं आयुक्त, पंचायती राज विभाग, जयपुर ।
4—मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद, जयपुर / हनुमानगढ ।
5—विकास अधिकारी, पंचायत समिति भादरा को एक अतिरिक्त प्रति संलग्न कर निर्देशित किया जाता है कि इस आदेश को श्री विनोद कुमार मीना ग्राम सेवक को तामील करवाया जाना सुनिश्चित करावें ।
6—ए.सी.पी., पंचायती राज विभाग, जयपुर ।
7—आदेश पत्रावली ।

अतिरिक्त आयुक्त एवं
संयुक्त शासन सचिव